

III/निगरानी/सतना/भू०रा/2018/0412

इन्द्रप्रसाद गौतम पिता श्री विशेषर प्रसाद गौतम उम्र 73वर्ष  
निवासी रामटेकरी कृपालपुर तहसील रघुराज नगर जिला  
सतना म०प्र०.....निगराकार

बनाम

1. श्रीमती हरलीन कौर पत्नी श्री परमजीत सिंह अरोरा  
उम्र 36 वर्ष
2. मनुप्रीत सिंह जग्गी तनय स्व.हरविन्दर सिंह जग्गी  
उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी कृष्ण नगर सतना तहसील रघुराज  
नगर सतना जिला सतना म०प्र०
3. शासन म०प्र० .....गैरनिगराकार

श्री. स्व. म. व. 15.10.18 को  
द्वारा आज दि. 15.10.18 को  
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 27.10.18 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू०रा० संहिता  
1959, विरुद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक  
वृत्त सतना तहसील रघुराज नगर जिला  
सतना म०प्र० के राजस्व प्रकरण  
क्रमांक 180अ12/16-17 में पारित आदेश  
दिनांक 31.10.17,

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्न लिखित आधार पर  
निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है  
कि गैरनिगराकार क.1 व 2 द्वारा मौजा कृपालपुर तहसील  
रघुराज नगर जिला सतना म.प्र. की आराजी नम्बर  
1279/1/10/1, न.1279/1/11/1, न.1279/1/10/2/2,  
न.1279/1/11/2/2 कुल रकवा 0.066 हे. के सीमांकन  
का आवेदन पत्र लायक अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- दो / निगरानी / सतना / भू.रा. / 2018 / 0412

इन्द्रप्रसाद गौतम विरुद्ध श्रीमती हरलीन कौर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01-03-2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित ।</li><li>3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर, जिला-सतना के प्रकरण क्रमांक 180/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 31-10-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</li><li>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 02-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</li></ol>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 01.3.19</p>